



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 834) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्टूबर 2016

एस0 ओ0 269, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. दिनांक 31.10.2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में एक नये नियम 23ख का अंतःस्थापन।— बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम-23क के बाद निम्नलिखित नियम 23ख अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा—

“23ख. नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्वारा, दे सकेगा।”

2. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के अधीन विहित प्रपत्र-I में संशोधन।— बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के अधीन विहित प्रपत्र-I की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी जायेंगी, यथा—

“1क. पैन

1ख. मोबाईल संख्या

1ग. ई-मेल आईडी00''

3. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के अधीन विहित प्रपत्र-I क में संशोधन।- बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के अधीन विहित प्रपत्र-Iक की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी जायेंगी, यथा-

''1क. पैर

1ख. मोबाईल संख्या

1ग. ई-मेल आईडी00''

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3852]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस0 ओ0 270, एस0 ओ0 269, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3853]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 269 dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act xxxv of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984 the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received on or before 31.10.2016 will be considered by the State Government.

Amendment

1. **Insertion of a new rule 23B in the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984.-** After Rule 23A of the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984 the following new rule 23B shall be inserted, namely:-

"23B. Notwithstanding anything contained in the Rules, the Commissioner, Commercial Taxes, by notification, may issue an order to file return specified in the rules, through electronic device."

2. Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984:- After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

- "1A. PAN
- 1B. Mobile No.
- 1C. E-mail I.D."

3. Amendment in Form-IA prescribed under the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984:- After Sl. No. 1 in Form-IA prescribed under the Bihar Entertainments Tax Rules, 1984 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

- "1A. PAN
- 1B. Mobile No.
- 1C. E-mail I.D."

[F. No-Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-3852]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 834-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>